

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०:-PMAA/PCRN/^{MUSTAFAPUR}_{DANAPUR}/ B+G+04/51/2022 — 677

पटना, दिनांक-20.12.2023

प्रेषक,

वरीय वास्तुविद्,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री निलेश कुमार सिन्हा,
प्रोपराईटर-मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शनस्,
पिता-श्री परमानन्द यादव,
निबंधित कार्यालय-112, प्रथम तल्ला,
हरिओम कमर्शियल कम्पलेक्स, न्यू डाकबंगला रोड,
पटना-800001

विषय:- प्लान केस संख्या- PMAA/PCRN/^{MUSTAFAPUR}_{DANAPUR}/ B+G+04/51/2022 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०- PMAA/PCRN/^{MUSTAFAPUR}_{DANAPUR}/ B+G+04/51/2022, दिनांक-22.07.2022 के संदर्भ में श्री निलेश कुमार सिन्हा, प्रोपराईटर-मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शनस्, पिता-श्री परमानन्द यादव, कार्यालय-112 प्रथम तल्ला, हरिओम कमर्शियल कम्पलेक्स, न्यू डाकबंगला रोड, जिला-पटना के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा-मुस्तफापुर, थाना-दानापुर, थाना सं०-36, जिला-पटना का सर्वे प्लॉट सं०-635 एवं 636, खाता सं०-188 एवं 192, तौजी नं०-5276, में आवासीय-सह-व्यावसायिक भवन (B+G+04) दिनांक-19.12.2023 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

2. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय-सह-व्यावसायिक भवन प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
3. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
4. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 485.09 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
5. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
6. भूखण्ड के पश्चिम में 60.35मी० से 59.44मी० चौड़ी वर्तमान सड़क अवस्थित है।

21

7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
8. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
9. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
10. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
11. निर्माणकर्त्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल, निकास सड़क, एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास बिहार भवन उपविधि 2014 में प्रावधानित उपविधि 8(5)के आलोक में करना होगा।
12. बिहार भू-सम्पदा (विनियामक और विकास) नियमावली-2017 के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
13. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्त्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
14. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
15. बिहार भवन उपविधि 2014 के कंडिका 32 के आलोक में आवेदक द्वारा ग्रीन एरिया का प्रावधान करना होगा।
16. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
17. बिहार भवन उपविधि, 2014 एवं पटना मास्टर प्लान, 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।

विश्वासभाजन

Sm
20/12/23

वरीय वास्तुविद,

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।